मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
अधिसूचना

दिनांक 02/08/2024

क्रमांक 1852/मप्रविनिआ/2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181, सहपठित धारा 39 की उप–धारा(2) के खण्ड(घ) के उप–खण्ड (एक), धारा 40 के खण्ड(ग) के उप–खण्ड(एक), धारा 66 तथा धारा 86 की उप–धारा(1) के खण्ड (ग) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (एक) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, 'मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 (क्रमांक आरजी–34(II), वर्ष 2003)' जिसे एतद् पश्चात् **'मूल संहिता'** निर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ (Short Title and Commencement) :

1.1 यह संहिता **''मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 (प्रथम संशोधन) [क्रमांक एआरजी–34(II)(i), वर्ष 2024]''** कहलाएगी।

1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश के शासकीय ''राजपत्र'' में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

2. मूल संहिता के खण्ड 6 में संशोधन :

मूल संहिता के खण्ड 6 के उप–खण्ड(2) में निम्न संशोधन किया जाए, अर्थात् :

खण्ड 6 के उपखण्ड (2) के प्रथम अनुच्छेद (paragraph) में शब्दों **''प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी''** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक चिन्ह (symbols) **''राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}''** स्थापित किये जाएं।

3. मूल संहिता के अध्याय 7 में संशोधन :

3.1 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (8) के उप–खण्ड (एक) में निम्नानुसार संशोधन किये जाएं, अर्थात् :

शब्दों **''कुल विचलन प्रभारों (Total Deviation Charges)''** के स्थान पर शब्द **''क्षेत्रीय विचलन प्रभारों''** स्थापित किये जाएं तथा द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्न वाक्य तथा प्रतीक चिन्ह यथा, **''राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कुल विचलन प्रभारों (भुगतान–योग्य**

/प्राप्ति–योग्य) तथा क्षेत्रीय विचलन प्रभारों का मिलान दिवस स्तर पर किया जाएगा।'' स्थापित किया जाए।

3.2 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (15) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

हिन्दी संस्करण में संशोधन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

3.3 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23) में शब्दों **''प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी''** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक चिन्ह **''राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}''** स्थापित किये जाएं।

3.4 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23) के उप–खण्ड(क) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23) के उप–खण्ड (क) के प्रारंभ में शब्दों **''विद्युत वितरण कम्पनी''** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक–चिन्ह **''राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}''** स्थापित किये जाएं।

3.5 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23) के उप–खण्ड (ख) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

मूल संहिता के खण्ड के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23) के उप–खण्ड (ख) के प्रारंभ में शब्दों **''विद्युत वितरण कम्पनी''** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक–चिन्ह **''राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}''** स्थापित किये जाएं।

3.6 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23) के उप–खण्ड (ग) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड (ग) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''(ग) ''राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर) द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य प्रतिक्रियाशील प्रभारों की संक्षेपिका (टीपः प्रतिक्रियाशील ऊर्जा की दर आयोग द्वारा समय–समय पर

जारी पृथक आदेशों/ अधिसूचना के माध्यम से अनुमोदित की जाएगी। जब तक आयोग द्वारा आदेश जारी न कर दिये जाएं, दरें समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC) में निर्दिष्ट की गई दरों से प्राप्त की जाएंगी।''

3.7 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (24) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

उप–खण्ड (24) के उप–खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में शब्दों **''विद्युत वितरण कम्पनी''** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक चिन्ह **''राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}''** स्थापित किये जाएं।

3.8 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (26) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (26) में दो स्थानों पर प्रकट हो रहे शब्दों **''विद्युत वितरण कम्पनी''** के स्थान पर दोनों स्थानों पर शब्द तथा प्रतीक–चिन्ह **''राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}''** स्थापित किये जाएं।

3.9 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (26) के उप–खण्ड (ङ) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (26) के उप–खण्ड (ङ) में दो स्थानों पर प्रकट हो रहे शब्दों **''विद्युत वितरण कम्पनी''** के स्थान पर दोनों स्थानों पर शब्द तथा प्रतीक–चिन्ह **''राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}''** स्थापित किये जाएं।

आयोग के आदेशानुसार

उमाकान्त पाण्डा, आयोग सचिव
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग